कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

E-Mail :- dfo_balodabazar@rediffmail.com, 07727-296526

क्रमांक / तकनीकी / विविध / 92. बलौदाबाजार, दिनांक 10 / 01 / 2024

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ.ग. इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स)
सिविल लाईन, रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **आवेदनकर्ता मेसर्स छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा बलौदाबाजार–भाटापारा जिले के बलौदाबाजार वनमंडल अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत् भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 1.137 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् व्यपवर्तन बाबत्।**
पंजीयन क्रमांक / FP / CG / OFC / 43975 / 2020.

संदर्भ :–
1. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक / एफ 5–04 / 2022 / 10–2 दिनांक 27.12.2023.
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक / विविध–ए / 115–851 / 58 दिनांक 08.01.2024.

=== : 00 : ===

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक–01 द्वारा बलौदाबाजार वनमण्डल के बारनवापारा अभ्यारण्य अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् भारतनेट प्रोजेक्ट Phase-II द्वारा वनभूमि 1.137 हे. में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुसार कैम्पा मद में जमा की जाने वाली समस्त राशि को ई–चालान के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छत्तीसगढ़ के अनुमोदन उपरांत जमा किया जाना है।

अतः संलग्न प्रपत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की दर्शित राशि ई–चालान के माध्यम से कैम्पा खाता में RTGS कर ई–चालान की प्रति के साथ 30 बिन्दुओं के निर्धारित शर्तो का पृथक–पृथक पालन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करावें।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

10/01/2024

वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

पृ0 क्रमांक / तकनीकी / विविध / 93 बलौदाबाजार, दिनांक 10 / 01 / 2024

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.सं.अ.) छ.ग. नवा रायपुर अटल नगर की ओर उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक उदन्ती–सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर (छ.ग.) की ओर उपरोक्त संदर्भ में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। NPV की राशि आवेदक संस्थान से जमा कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में गणना पत्रक आपके अनुमोदार्थ संलग्न प्रस्तुत है।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार।

10/01/2024

वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

10/1

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

✉ E-Mail :- dfo_balodabazar@rediffmail.com, ☎ 07727-296526

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वनभूमि व्यपवर्तन हेतु वसूल की जाने वाली राशि का विवरण :–

क्र.	विषय	रकबा (हे.)	देय राशि (रू.)	जमा राशि (रू.)	शेष देय राशि (रू.)
1	अभ्यारण्य क्षेत्र के लिए शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (1228590 X 5 = 6142950/- प्रति हे.)	1.137	69,84,534.00	—	69,84,534.00
	योग :–	**1.137**	**69,84,534.00**	—	**69,84,534.00**
2	राज्य कैम्पा के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले में समतुल्य राजस्व वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण कार्य	1.137	10,99,099.00	—	10,99,099.00
	योग :–	**1.137**	**10,99,099.00**	—	**10,99,099.00**
	कुल योग :–		**80,83,633.00**		**80,83,633.00**

टीप :– वित्तीय वर्ष 2022–23 की सिंचित राशि 878787.00 रूपये के अनुसार राज्य कैम्पा के अंतर्गत व्यपवर्तित वन भूमि के बदले में समतुल्य राजस्व वनभूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राक्कलन राशि 999181.00 रूपये का वनमण्डलाधिकारी पूर्व भानूप्रतापपुर वनमण्डल, भानुप्रतापपुर द्वारा 10 वर्ष के लिए तैयार किया गया है।

वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु प्रति हेक्टेयर की दर 966666/– रूपये प्रचलन में है। जिसके अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि 10,99,099.00 रूपये का डिमांड नोट प्रस्तावित किया गया है।

अतः प्राक्कलन में दर्शायी गई क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की राशि आवेदक संस्थान के द्वारा जमा करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

10/01/2024

वनमण्डलाधिकारी
बलौदाबाजार वनमण्डल, बलौदाबाजार

10/1